न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 21/2021 GCMS NO 2021/139

दायरा तिथि : 02.08.2021

आदेश तिथि : 23.12.2021

प्रार्थी :–

कुलदीपसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपुत
निवासी वरावल तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

1. गजेन्द्रसिंह पुत्र लालसिंह
2. दुर्गासिंह पुत्र लालसिंह
3. भगवानसिंह पुत्र लालसिंह के कामु:–

अ.भानु प्रतापसिंह पुत्र भगवानसिंह
ब. पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र भगवानसिंह
स. प्रेमकंवर पत्नि भगवानसिंह
द. राजेश्वरी पुत्री भगवानसिंह जाति राजपुत निवासीगण वरावल तहसील बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत सिंचाई हेतू भूमिगत् पाईप लाईन बिछाने

आदेश दिनांक : 23-12-2021

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम वरावल तहसील बाली के खसरा नंबर 175/231 में स्थित ट्यूब वैल से प्रार्थी द्वारा धारित की जा रही खातेदारी भूमि ग्राम वरावल तहसील बाली के खसरा नंबर 173/216, 178/205, 178/204, 178/206,178/186, 178/219 कुल रकबा 2.27 हैक्टर को सिंचित करने के लिये प्रार्थी व अप्रार्थीगण गजेन्द्रसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपुत निवासी वरावल वगैरा की शामलाती संयुक्त सह खातेदारी भूमि ग्राम वरावल तहसील बाली के खसरा नंबर 178/233, 175/232, 175/230, 173/201, 177/256 कुल रकबा 0.7004 हैक्टर भूमि मेंसे प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित मार्ग से भूमिगत पाईप लाईन बिछाने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। इस सबंध में तहसीलदार, बाली मय भू0अभिलेख निरीक्षक, बेडा ने अपने कार्यालय पत्रांकः राजस्व/2021/1228 दिनांक 17.12.2021 निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की:–

1. यह हैं कि प्रार्थी आवेदक श्री कुलदीपसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपुत निवासी वरावल तहसील बाली की खातेदारी भूमि में स्थित ट्यूबवैल से जहॉ पानी की भूमिगत् पाईपलाईन ले जायेगी। ग्राम वरावल के खसरा नंबर 151/227, 151/246, 151/248, 151/250, 151/254, 172/225, 173/201, 173/218, 173/238, 175/192, 175/230, 175/232, 175/252, 176, 177/256, 178/221, 178/233, 178/240, 178/243 कुल रकबा 1.5628 हैक्टर भूमि में संयुक्त रूप से सह खातेदार श्री कुलदीपसिंह पुत्र लालसिंह हि. 1/4, श्री गजेन्द्रसिंह पुत्र लालसिंह हि. 1/4, श्री दुर्गासिंह पुत्र लालसिंह हि. 1/4 भगवानसिंह पुत्र लालसिंह हि. 1/4 जातिगण राजपुत निवासीगण वरावल तहसील बाली खातेदार दर्ज हैं। भगवानसिंह पुत्र लालसिंह हि. 1/4 की मृत्यु हो चुकी हैं। जिनके कायम मुकाम भानुप्रतापसिंह, पुष्पेन्द्रसिंह पिसरान् भगवानसिंह, प्रेमकंवर पत्नि भगवानसिंह, राजेश्वरी पुत्री भगवानसिंह हैं।
2. यह हैं कि श्री कुलदीपसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपुत संयुक्त भूमि जो रास्ते हेतु शामलाती रखी हैं। जिसमें से होकर सिंचाई हेतु पाईपलाईन स्थापित करना चाहते हैं।
3. यह कि खसरा नंबर 173/201 रकबा 0.10 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा नंबर 175/230 रकबा 0.0367 हैक्टर किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 175/232 रकबा 0.0540 हैक्टर किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 177/256 रकबा 0.3598 हैक्टर किस्म गै.मु. सडा, खसरा नंबर 178/233 रकबा 0.1499 हैक्टर किस्म चाही दोयम कुल रकबा 0.7004 हैक्टर संयुक्त खातेदार स्वयं श्री कुलदीपसिंह पुत्र लालसिंह हि. 1/4, श्री गजेन्द्रसिंह पुत्र लालसिंह हि. 1/4, श्री दुर्गासिंह पुत्र लालसिंह हि. 1/4, श्री भगवानसिंह पुत्र लालसिंह हि. 1/4 दर्ज हैं।

पेज लगातार.........02

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला–पाली) राज.

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्याः 21/2021 GCMS NO 2021/130
अनवान कुलदीपसिंह बनाम गजेन्द्रसिंह वगैरा
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

4. यह हैं कि ग्राम वरावल में जिन जिन खसरो से भूमिगत पाईप लाईन डाली जाना प्रस्तावित हैं, उन खसरो का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रसं0	खसरा नंबर	खसरे का कुल रकबा	नाम खातेदार	प्रभावित भूमि का विवरण
01	173/201	0.10 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ता	कुलदीपसिंह पुत्र लालसिंह हि. 1/4, गजेन्द्रसिंह पुत्र लालसिंह हि. 1/4, दुर्गासिंह पुत्र लालसिंह हि. 1/4, भगवानसिंह पुत्र लालसिंह हि. 1/4 निवासी वरावल	120X1=120 वर्गमीटर
02	175/230	0.0367 हैक्टर किस्म चाही दोयम	कुलदीपसिंह पुत्र लालसिंह हि. 1/4 वगैरा जमाबंदी अनुसार	60X1=60 वर्गमीटर
03	175/232	0.540 हैक्टर किस्म चाही दोयम	कुलदीपसिंह पुत्र लालसिंह हि. 1/4 वगैरा जमाबंदी अनुसार	90X1=90 वर्गमीटर
04	177/256	0.3598 हैक्टर किस्म गै.मु. सडा	कुलदीपसिंह पुत्र लालसिंह हि. 1/4 वगैरा जमाबंदी अनुसार	85X1=85 वर्गमीटर
05	178/233	0.1499 हैक्टर किस्म चाही दोयम	कुलदीपसिंह पुत्र लालसिंह हि. 1/4 वगैरा जमाबंदी अनुसार	80X1=80वर्गमीटर

5. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार कोई भी निर्माण/वृक्ष नही हैं एवं न ही अन्य कोई क्षति होगी।

6. प्रस्तावित भूमि ग्राम वरावल की डी.एल.सी. दर 89730/–रूपये प्रति हैक्टर हैं।

प्रकरण में हितबद्ध अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने पर राजस्व केम्प दूदनी में दिनांक 21.10.2021 को अप्रार्थीगण की ओर से भनुप्रतापसिंह पुत्र श्री भगवानसिंह ने आपत्ति पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के पिता के मध्य फैमेली सैटलमेंट किया गया था, जिस सैटलमेंट के अनुसार वर्णित भूमि शामलात में रखी गई थी। आवेदक प्रार्थी जबरदस्ती रास्ता लेना चाहता है, जबरदस्ती रास्ता लेने से अप्रार्थीगण के हक हिस्सो पर कुठाराघात होगा जिससे रास्ते को रोके जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकुलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं वकुलाय की बहस के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण में यह ज्ञात तथ्य हैं कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं। प्रार्थी व अप्रार्थी के पिता के मध्य फैमीली सैटलमेंट के जरिये कृषि भूमियो एवं अन्य सम्पति का बंटवारा हुआ है। वर्णित भूमियॉ विभाजन के बाद ही अलग–अलग व्यक्तियो के खातेदारी एवं कुछ भूमि रास्ते एवं पानी की नालियो के लिये संयुक्त में रखी गई है, जिससे ग्राम वरावल तहसील बाली के खसरा नंबर 178/233, 175/232, 175/230, 173/201, 177/256 कुल रकबा 0.7004 हैक्टर की भूमि शामलाती संयुक्त सह खातेदारी में चल रही है। उक्त भूमि मेंसे होकर प्रार्थी भूमिगत् पाईप लाईन बिछाना चाहता है, जिसमें अप्रार्थी पक्ष द्वारा जो आपत्ति प्रस्तुत की गई है, उसमें जबरदस्ती रास्ता लेने से अप्रार्थीगण के हक हिस्सो पर कुठाराघात होने के तथ्य प्रकट करते हुये आवेदन को खारिज किये जाने की मांग की गई है, जबकि आवेदक प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार के रास्ता का आवेदन नहीं किया गया है, बल्कि अपनी खातेदारी भूमि को सिंचित करने के लिये भूमिगत् पाईप लाईन बिछाने की अनुमति चाही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में विधि के प्रावधानो अनुसार एक खातेदार काश्तकार धारित कृषि भूमि पर किरायेदार ही होता है, भूमि का मालिक भूमिधारी तहसीलदार होता है। एक काश्तकार को अपनी जोत पर कृषि कार्य करने के अलावा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। भूमिगत् पाईप लाईन भूमि में साढे तीन फीट नीचे होगी, जिसमें अप्रार्थीगण को आपत्ति का कोई अधिकार नहीं रहता है। जिससे अप्रार्थी पक्ष की आपत्ति सारहिन तथा विधि के प्रावधानो के विपरित होने से अस्वीकार की जाती हैं। इस संबध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251–(ए) के प्रावधानो का अध्ययन किया गया। धारा 251(ए)– अन्य खातेदार की जोत मेंसे होकर भूमिगत् पाईपलाइन बिछाना या नया

मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना (1) जहां (ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी ज़ोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत मेंसे होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता हैः–

और मामला पारस्परित सहमति से तय नहीं होता है, तो एक अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित **उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगें** और उपखण्ड अधिकारी, यदि **संक्षिप्त जांच के पश्चात्** उसका समाधान होने के पश्चात् समूचित आदेश पारित करेगा।

पेज लगातार ...03

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला–पाली) राज.

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी * बाली जिला - पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्याः 21/2021 GCMS NO 2021/139

अनवान कुलदीपसिंह बनाम गजेन्द्रसिंह वगैरा

अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बेडा द्वारा पत्रांक:र ाजस्व/2021/1228 दिनांक 17.12.2021 से प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा **वरावल पटवार हल्का दूदनी** तहसील बाली के खसरा नंबर 175/231 हैक्टर में स्थित ट्यूब वैल से अपने प्रार्थी द्वारा धारित की जा रही खातेदारी भूमि ग्राम वरावल तहसील बाली के खसरा नंबर 173/216, 178/205, 178/204, 178/206,178/186, 178/219 कुल रकबा 2.27 हैक्टर को सिंचित करने के लिये प्रार्थी व अप्रार्थीगण गजेन्द्रसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपुत निवासी वरावल वगैरा की शामलाती संयुक्त सह खातेदारी भूमि ग्राम वरावल तहसील बाली के **खसरा नंबर 178/233, 175/232, 175/230, 173/201, 177/256 कुल रकबा 0.7004 हैक्टर भूमि** मेंसे कुल **435 वर्गमीटर भूमि** नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दर्शित ट्रैक से **साढे फीट गहरी** भूमिगत् पाईप लाईन बिछाये जाने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	भूमि गत् पाईप लाईन के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल. सी. दर (प्रति व. मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 89730/– प्रति हैक्टर की दर से 1/10 राशि	नाम खातेदार
173/201	0.10 हैक्टर	120X1=120 वर्गमीटर	8.97	107.64	कुलदीपसिंह पुत्र लालसिंह हि. 1/4, गजेन्द्रसिंह पुत्र लालसिंह हि. 1/4, दुर्गासिंह पुत्र लालसिंह हि. 1/4, भगवानसिंह पुत्र लालसिंह हि. 1/4 निवासी वरावल
175/230	0.0367 हैक्टर	60X1=60 वर्गमीटर	8.97	53.82	कुलदीपसिंह पुत्र लालसिंह हि. 1/4 वगैरा जमाबंदी अनुसार
175/232	0.540 हैक्टर	90X1=90 वर्गमीटर	8.97	80.73	कुलदीपसिंह पुत्र लालसिंह हि. 1/4 वगैरा जमाबंदी अनुसार
177/256	0.3598 हैक्टर	85X1=85 वर्गमीटर	8.97	76.25	कुलदीपसिंह पुत्र लालसिंह हि. 1/4 वगैरा जमाबंदी अनुसार
178/233	0.1499 हैक्टर	80X1=80वर्गमीटर	8.97	71.6	कुलदीपसिंह पुत्र लालसिंह हि. 1/4 वगैरा जमाबंदी अनुसार
05		435 वर्गमीटर	8.97	390.04	

देय प्रतिकर राशि अप्रार्थीगण को अदा की जायेगी। अप्रार्थीगण द्वारा राशि नहीं लिये जाने की दशा में आवेदक द्वारा नियमानुसार राशि तहसील कार्यालय बाली मे जमा कराई जायेगी। तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर आदेशानुसार भूमिगत् पाईप लाईन स्थापित कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगें। आदेश की प्रति संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी, बाली, जिला - पाली (राज.)

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली
दिनांक 28.12.2021

उपखण्ड अधिकारी बाली (जिला-पाली) राज.

क्रमॉक/कोर्ट/2021/ 3094–3098

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 बेडा
3. पटवारी हल्का, दूदनी
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक कुलदीपसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपुत निवासी वरावल तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान) को सुचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी बाली (जिला-पाली) राज.

Scanned with CamScanner